न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 317/2020
अनवान : –

1. सुलतान पुत्र दीपाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता आर.डब्ल्यु. एम.पी. खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 मु0न0 34 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 व 3/2, 9, 10 की कुल 1.2650 हैक्ट गै0मु0 खाला रास्ता की भूमि वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है।

उक्त भूमि के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादी ही काश्त करता है इसलिए वादी गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी मर्तबा कहा कि वो रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला को मुमकिन दर्ज करवाकर एवं सशोधित कर वाद भूमि वादी के नमा दर्ज कर देवे जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे बिल आखिर कार बमुकाम तहसील परिसर नोहर कतई इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 175/155 व पर्चा खसरा ... की जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार 55 व चित्रप्रति पर्चा खसरा ... शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि अधिशाषी अभियंता सिंचाई विभाग से रिपोर्ट लिया उचित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के किला न0 1, 2, 3, 9, 10 में किसी प्रकार को कोई खाला नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:32 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 मु0न0 34 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 व 3/2, 9, 10 की कुल 1.2650 हैक्ट गै0मु0 खाला रास्ता की भूमि वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादी ही काश्त करता है इसलिए वादी गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 मु0न0 34 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 व 3/2, 9, 10 की कुल 1.2650 हैक्ट गै0मु0 खाला रास्ता की भूमि वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नही है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादी ही काश्त करता है इसलिए वादी गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा चक 5 केएनएन के किला न0 1, 2, 3, 9, 10 में किसी प्रकार को कोई खाला नही है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया [illegible] की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों [illegible] गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड [illegible]ही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 मु0न0 34 के किला न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 व 3/2, 9, 10 की कुल 1.

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2650 हैक्ट गै0मु0 खाला रास्ता की भूमि वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। उक्त भूमि के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला दर्ज है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341/369 मु0न0 34 के किला न0 1/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2/1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3/1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 317 / 2020

अनवान : –

1. सुलतान पुत्र दीपाराम जाति स्वामी निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता आर.डब्ल्यु. एम.पी. खण्ड भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 317 सन 2020 निर्णय दिनांक 07/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविकान्त स्वामी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन तहसील नोहर के प0न0 341 / 369 मु0न0 34 के किला न0 1 / 1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 2 / 1 की 0.0260 हैक्ट, किला न0 3 / 1 की 0.0260 हैक्ट गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...07/01/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:32 IST
Reason: SelfAttested